जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 99/2017 अनवानी विजय सिंह पुत्र स्व. श्री मान सिंह जाति राजपूत निवासी गांगियासर हाउस, क्वींस रोड़, जयपुर बनाम 1—भवानी सिंह पुत्र मानसिंह निवासी बी—4/15, चित्रकूट कोलोनी, प्रताप स्टेडिम के पास, वैशाली नगर, जयपुर 2—राजवीर सिंह पुत्र हरीसिंह निवासी मकान नम्बर 382 नेमीसागर कोलोनी, क्वींस रोड़, वैशाली नगर, जयपुर 3—तहसीलदार श्रीकरनपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.10.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री श्ययाम सुन्दर उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री श्याम सुन्दर का कथन है कि प्रार्थी विजय सिंह द्वारा दिनांक 15.02.11 को तहसीलदार, श्रीकरनपुर के समक्ष एक प्रा0पत्र प्रस्तुत किया कि उसके पिता मान सिंह के नाम से चक 57 एफ के मु0न0 54 की 25 बीघा नहरी कृषि भूमि थी जिसकी वसीयत प्रार्थी के पक्ष में तहरीर व तस्दीक शुदा है। इसलिए उक्त वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का ईन्तकाल दर्ज किया जावे। जिस पर तहसीलदार ने स्थानीय दैनिक समाचार पत्रो में सूचना प्रकाशन करवाई और दिनांक 15.03.11 तक हितबद्ध तथा अन्य सर्व साधारण से आपतियां आमन्त्रित की किन्तु किसी के द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। इसलिए प्रकरण में आगामी तारीख 06.04.11 नियत की गई।

उनका आगे कथन है कि दिनांक 06.04.11 को अप्रार्थी सं0 1 भवानी सिंह अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित आया और दिनांक 08.04.11 को आपतियां प्रस्तुत कर दी और कुछ नये दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया गया जो उसने 19.05.11 को पेश कर दिये। दिनांक 19.05.11 से लगातार 29.04.16 तक लगातार 5 वर्ष तक अप्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिये जाते रहे।

उनका आगे यह भी कथन है कि पक्षकारो के मध्य विचाराधीन प्रकरण की प्रतिलिपि पेश की जिसके अनुसार अप्रार्थीगण का तथाकथित वाद समाप्त हो गया है इसलिए नामान्तरकरण की कार्यवाही उनके पक्ष में की जावे। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी तहसीलदार ने उक्त तथ्यों पर गौर न करते हुए दिनांक 08.06.16 को पत्रावली में अंकित किया कि प्रकरण माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय कम संख्या 11 जयपुर महानगर में विचाराधीन होने के कारण फैसले के बाद ही पत्रावली पेश हो और उक्त अंकन के पश्चात कोई कार्यवाही प्रकरण में नही की जा रही है। जबकि उनका कोई प्रकरण विचाराधीन नही है। उनका यह कथन है कि तहसीलदार, श्रीकरनपुर अप्रार्थीगण से मिलीभगत करके तथा उनको नाजायज लाभ देने की नीयत से ईन्तकाल के संबंध में कोई कार्यवाही नही कर रहा है। इसलिए प्रार्थी को कोई निष्पक्ष न्याय मिलने की संभवना नही है। अतः उक्त

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

वसीयत प्रकरण सं0 11/2011 अनवानी विजय सिंह बनाम हरखास व आन जो कि चक 57 एफ के मु0न0 54 की 25 बीघा की वसीयत के आधार ईन्तकाल दर्ज कराने के संबंध में है को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने प्रार्थी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी के मुन्तकिली प्रा0 पत्र एवं साथ में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेज के अनुसार चक 57एफ के मु0न0 54 की 25 बीघा नहरी भूमि की अपनी पिता की वसीयत के आधार पर ईन्तकाल दर्ज करने संबंधी प्रकरण सं0 11/2011 के रूप में दर्ज है जिसमें प्रार्थी ने तहसीलदार, श्रीकरनपुर की अप्रार्थीगण से आपसी मिलीभगति के कारण बिना किसी उचित कारण के विवादग्रस्त भूमि के ईन्तकाल प्रकरण का निर्णय नही किया जा रहा है को तहसीलदार, श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि पक्षकारो के मध्य आपसी विवाद के प्रकरण का निस्तारण होने पर दिनांक 31.03.16 को निर्णय की प्रति पेश कर दी थी इसके बावजूद भी निर्णय नही किया जा रहा और अब दिनांक 08.06.16 को पत्रावली में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय क्रम संख्या 11 जयपुर महानगर में प्रकरण विचाराधीन होने का उल्लेख करते हुए निर्णय के बाद पत्रावली पेश करने के आदेश दिये गये है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑर्डर शीट 31.03.16 में अंकित मु0न0 43/06 की जो प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गयी है वह किस संबंध में है और अपर जिला एवं सैशन न्यायालय क्रम संख्या 11 जयपुर महानगर में विचाराधीन प्रकरण किस सन्दर्भ में है उसकी प्रतिलिपि इस न्यायालय के समक्ष पेश नही की गयी है जिस कारण कोई स्थिति स्पष्ट नही होती है। अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार श्रीकरनपुर द्वारा दिनांक 08.06.16 की ऑर्डर शीट के अनुसार माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय क्रम संख्या 11 जयपुर महानगर में प्रकरण विचाराधीन बताकर मूल प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखी है। इस आदेश से प्रार्थी यदि अप्रसन्न है तो इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में अपील आदि की कार्रवाई करनी चाहिए। उक्त कारण से मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करना उचित प्रतीत नही होता है।

1925
25/10/17

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2017 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर